सं. एस-11011/3/2015-एसबीएम
भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
स्वच्छ भारत मिशन (जी)

12वाँ तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003
दिनांक 09 जून, 2015

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव

विषय : खुले में शौच मुक्त की परिभाषा।

महोदय/महोदया

आप इस बात से अवगत होंगे कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति की प्राप्ति तथा उसका स्थायित्व है। एसबीएम-जी के दिशानिर्देशों के पैरा 4.1 में लिखा है कि 'खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) ग्राम पंचायत (जीपी) के निर्माण के लक्ष्य के साथ .... एसबीएम (जी) का कार्यान्वयन प्रस्तावित किया गया है। वैयक्तिक शौचालयों के निर्माण मात्र के बजाय गाँव को पूर्ण रूप से ओडीएफ बनाने पर बल दिया जा रहा है। इसमें संपूर्ण गांव को व्यवहारगत परिवर्तन लाने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है, न कि लाभार्थी के साथ व्यक्तिगत रूप में बात करना। यह बात भी सामने आई है कि ओडीएफ बनाने के लिए गाँव द्वारा 'सामूहिक कार्य' से अधिक सफलता मिलती है न कि वैयक्तिक परिवारों को लक्ष्यबद्ध करने के प्रयास से। परंतु सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ऐसे वैज्ञानिक आँकड़े उपलब्ध हैं जो दर्शाते हैं कि जब गांव (पूरा समुदाय) पूर्ण रूप से ओडीएफ बनता है अर्थात् 100 प्रतिशत गांववासी, शौचालय का 100 प्रतिशत उपयोग करें तो परिणामस्वरूप दस्त में कमी और बेहतर स्वास्थ्य मानक सामने आएंगे।

2. तथापि, यह पाया गया है कि देश भर में ओडीएफ की कोई सामान्य परिभाषा नहीं है। ओडीएफ जो मिशन का मुख्य परिणाम है उसे समान रूप से सूक्ष्मता से परिभाषित किया जाना आवश्यक है, ताकि उसकी प्राप्ति के लिए साफ एकाग्र प्रयास किया जाए। सामान्य परिभाषा के अभाव में प्रत्येक राज्य की (और उप-राज्य स्तर की) ओडीएफ की अलग समझ होगी जिस कारण देश में ओडीएफ को समान रूप से प्राप्त करने के लिए अलग-अलग तरीकों पर बल दिया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप किस प्रकार गांव/ग्राम पंचायत ओडीएफ बने, उनमें से कितने पूर्व स्थिति में लौटे हैं और कितने स्थायी हैं, यह जानना दुष्कर हो जाएगा।

3. मामले के विस्तृत परीक्षण और विभिन्न हिस्सेदारों से विस्तृत चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि ओडीएफ को निम्नानुसार परिभाषित किया जाए:

ओडीएफ मल का निकास है, जो निम्न द्वारा परिभाषित होगा :-

(क) वातावरण/गाँव में किसी प्रकार का मल न दिखे; और

(ख) प्रत्येक परिवार और साथ ही सार्वजनिक/सामुदायिक संस्थाओं द्वारा मल के निपटान हेतु सुरक्षित तकनीकी विकल्प का प्रयोग हो।

(सलाह: सुरक्षित तकनीकी विकल्प का अर्थ है सतही मिट्टी, भूजल अथवा सतही जल में किसी प्रकार का संदूषण न होना; मल मक्खियों तथा जानवरों की पहुँच से दूर होना; ताजे मल को न छूना; तथा दुर्गंध तथा भद्दी स्थिति से मुक्त होना।)

4. यह अनुरोध है कि उपर्युक्त नोटिस को सभी संबंधितों के संज्ञान में अवश्य लाएँ। अत: आगे से उपयुक्त परिभाषा के आधार पर ओडीएफ स्थिति का निर्धारण किया जाएगा।

भवदीय,

(सरस्वती प्रसाद)
संयुक्त सचिव (एसबीएम-जी)

प्रति:

1. राज्य समन्वयक, एसबीएम (जी), सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र।
2. तकनीकी निदेशक (एनआईसी) वैबसाइट पर डलवाने हेतु।

प्रति प्रेषित : सचिव के पीपीएस, एमडीडब्ल्यूएस/डीएस (एसबीएम) के पीएस/डीए (बीएस) के पीए/जे.डी. (सांख्यिकी) के पीए/गार्ड फाइल